


11-6-24

पशावली का अवलोकन किया। कक्षा प्रार्थी चुनी गई। प्रार्थी ने
निवेदन किया कि चक्र 12 mmK खाता सं. 61/22 चक्र 20 mmK खाता
सं. 75/29 चक्र 18 mmK खाता सं. 84/61 में प्रार्थी का नाम लालचंद पुत्र
मनमूल दत्त है जबकि प्रार्थी का सही नाम लालूराम पुत्र मनमूलराम है
इसविषय नाम कुहली मुलाकिक आवाकाश व सलंग अन्य दस्तावेजों के
की जावे। प्रार्थी पत्र में दस्तावेजों का मिलाज किया व तहसीलदार हुंगानगाव
के प्राप्त पत्रांक 2न3 डिांक 18/म/23 का अवलोकन किया जिसमें अंकित किया
है कि लालचंद व लालूराम एक ही व्यक्ति के नाम हैं।  आवाक पर
उक्त चक्रों/खालों में अंकित खातेदार लालचंद की जगह लालूराम पुत्र
मनमूल दत्त का नाम रखी कले के आदेश दिए जाते हैं तथा
कार आदेश की पाबंद करायें। पशावली को खिलव दस्तूर है। आदेश मुजा

गोपनी



सहायक
पत्र उपखण्डाधिकारी
हुंगानगाव